(च) ऋण और उपहारों से प्राप्त सभी राशि;

(छ) ग्राम परिषद के प्रबन्धन के अन्तर्गत मत्स्य उद्योग से प्राप्त आय;

(ज) ग्राम साधारण निकाय की किसी सम्पत्ति से प्राप्त आय;

(झ) ग्राम परिषद के कर्मियों द्वारा एकत्रित सभी प्रकार के रेत, कूड़ा कर्कट, खाद की बिक्री से आय;

(ञ) सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ग्राम परिषद निधि से प्राप्त धन राशि ;

(ट) किसी भी संस्थान में व्यय के लिए प्राप्त सहायता अनुदान की सभी राशि अथवा ग्राम परिषद निधि से दी जाने वाली सेवा अथवा लगाई राशि को ग्राम परिषद द्वारा प्रबन्धित किया जाएगा ।

(3) ग्राम परिषद निधि में राशि उपबन्धों के अधीन लागू किया जाएगा और इस विनियम के प्रयोजन के लिए तथा निर्धारित किए गए अनुसार इसे ऐसे अभिरक्षा में रखा जाएगा ।

34. प्रशासक ऐसे शर्तों के अधीन जैसा वह उचित समझे सामान्य प्रयोजन हेतु अथवा ग्राम के सुधार के लिए तथा इसमें रहने वाले निवासियों के कल्याण के लिए ग्राम परिषद को अनुदान दे सकता है । अनुदान

35. (1) प्रशासक यदि वह उचित समझे तो नीचे विनिर्दिष्ट प्रकृति के और ग्राम साधारण निकाय के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी अथवा किसी भी सम्पत्तियों पर ग्राम परिषद के निर्देश, प्रबन्धन और नियंत्रण रख सकते हैं, अर्थात् – ग्राम परिषद के निर्देशन, प्रबन्धन और नियंत्रण के अन्तर्गत रखी गई सम्पत्तियाँ

(क) खुला स्थान, बेकार, रिक्त और चरागाह जो निजी सम्पत्ति नहीं है और नदी का किनारा;

(ख) सार्वजनिक सड़क और गलियाँ;

(ग) सार्वजनिक नहर, जल मार्ग, कुँआ, तालाब, टैंक (सरकार के नियंत्रणाधीन सिंचाई टैंक को छोड़कर) सार्वजनिक झरना, जलाशय, टैंक, फव्वारा, कृत्रिम जल सेतु और इससे लगा हुआ कोई भूमि (निजी सम्पत्ति न होना) इससे लगा हुआ कोई सार्वजनिक टैंक अथवा तालाब और भूमि;

(घ) सार्वजनिक मल व्यवस्था, नालियाँ, नालियों का निर्माण, टनल्स और पुलिया और इससे सम्बन्ध रखने वाले अन्य वस्तुएँ और मल निकासी कार्य;

(ङ) गन्दा पानी, कूड़ा करकट और बदबूदार पदार्थ जो गलियों में जमा रहता है अथवा ग्राम परिषद द्वारा गलियों, शौचालयों, मूत्रालयों, मल जल हौदी और अन्य स्थानों से एकत्रित मल;

(च) सार्वजनिक लैम्प, लैम्प पोस्ट और इससे संलग्न अथवा सम्बन्धित उपकरण ।

(2) सभी मार्केटों और मेलों अथवा इसके समान अन्य कार्य जो सार्वजनिक भूमि पर आयोजित होता है, को ग्राम परिषद द्वारा नियमित किया जाना होगा तथा ग्राम साधारण निकाय, ग्राम परिषद निधि में सभी बकाया उगाही अथवा इसके सम्बन्ध में अधिरोपित राशि प्राप्त करेगी ।

36. (1) इस विनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमावली के अधीन ग्राम परिषद निम्न उगाही कर सकेगी – कर जिसे लागू किया जा सकता है

(क) भवन के मालिकों अथवा अभिधारियों से कर;